

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (लिंक नं.-11608) अलेसे-I/1602-05

दिनांक:- 03/02/2021

आदेश

श्री माधु राम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, (लिंक नं. 11608) कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही) को, दिनांक 02.12.2025 से 04.12.2025 को TABLE TENNIS FEDRATION OF INDIA & PARA COMMITTEE, TTFI द्वारा UTT 2nd NATIONAL PARA RANKING TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 2025-26 में मेन्स सिंगलस् (MS-3) में द्वितीय स्थान (रजत पदक) प्राप्त करने पर, कार्मिक (क-5/खेल प्रकोष्ठ) विभाग के आदेश दिनांक 27.09.2023 के अनुक्रम में, नियमानुसार विशेष वेतन वृद्धि (अधिकतम रुपये 1130/-) निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

1. व्यक्तिगत वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2026 से प्रभावी होगी।
2. व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी गई विशेष वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति तक उपरोक्त दर पर जारी रहेगी, लेकिन इसे पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभ या एचआरए/डीए/सीसीए आदि किसी अन्य भत्ते के लिए नहीं गिना जावेगा।

Jan 1
30/1/2026
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (लिंक नं.-11608) अलेसे-I/1602-05

दिनांक:- 03/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिण्डवाड़ा, (सिरोही) को सूचित कर लेख है कि कार्मिक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि आदिनांक तक 5 बार से ज्यादा नहीं दी गई है कि सूचना अविलम्ब इस निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें।
2. उप निदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा।
3. श्री माधु राम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही)

Jan 1
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)